संख्या–428/बीस–4/2017–1(17)/2009 टी0सी0

प्रेषक,

डा0 उमाकान्त पंवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– पुलिस महानिदेशक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

2– महानिरीक्षक कारागार,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

3– समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तराखण्ड।

4– समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक
उत्तराखण्ड।

5– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तराखण्ड।

6– समस्त वरिष्ठ कारागार अधीक्षक/अधीक्षक
कारागार, उत्तराखण्ड।

गृह अनुभाग–4

देहरादून : दिनांक 21 जून, 2017

विषय–भारत का संविधान के अनुच्छेद–161 के अन्तर्गत क्षमादान देने, सजा घटाने या सजा में अन्य प्रकार की कटौती किये जाने हेतु मृत्यु दण्ड के अतिरिक्त सजा से दण्डित सिद्धदोष बन्दियों अथवा उनके परिजनों द्वारा प्रस्तुत दया याचिकाओं के निस्तारण हेतु प्रक्रिया का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सजामाफी के बारे में पूर्व निर्गत शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए प्रदेश के विभिन्न कारागारों में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दियों को संविधान के अनुच्छेद–161 के अन्तर्गत समयपूर्व मुक्ति अथवा सजा में अन्य प्रकार की कटौती हेतु सिद्धदोष बन्दियों अथवा उनके परिजनों द्वारा प्रस्तुत दयायाचिकाओं के निस्तारण हेतु श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित करने का आदेश देते है :–

1– भारत का संविधान के अनुच्छेद–161 के अन्तर्गत समयपूर्व मुक्ति अथवा सजा में अन्य प्रकार की कटौती हेतु सिद्धदोष बन्दियों अथवा उनके परिजनों द्वारा प्रस्तुत दया याचिकाओं के निस्तारण हेतु समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है :–

1. प्रमुख सचिव/सचिव, गृह (कारागार), उत्तराखण्ड शासन –अध्यक्ष
2. प्रमुख सचिव/सचिव, गृह द्वारा नामित कोई अन्य सचिव –सदस्य
3. प्रमुख सचिव/सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी अथवा उनके द्वारा नामित कोई अपर सचिव, न्याय –सदस्य
4. महानिरीक्षक कारागार, उत्तराखण्ड, देहरादून –सदस्य सचिव

समिति द्वारा अपनी संस्तुति मा0 मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत की जायेगी और जिस पर यथा प्रक्रिया अग्रेत्तर निर्णय लिया जायेगा।

2– समिति द्वारा सिद्धदोष बन्दियों की समयपूर्व मुक्ति हेतु प्राप्त दया याचिकाओं पर निम्नलिखित बिन्दुओं पर गहनता से विचार किया जायेगा :–

1. बंदी द्वारा भोगी गयी सजा की अवधि
2. बंदी का जेल में आचरण
3. गृह अवकाश/पैरोल/जमानत अवधि में बंदी का आचरण
4. बंदी की आयु तथा स्वास्थ्य
5. बंदी द्वारा कारित अपराध की प्रकृति एवं अपराध की परिस्थितियां

27.3.18

सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रमाणित।

गृह अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।

6. न्यायालय द्वारा पारित दण्डादेश एवं उसमें इंगित संवीक्षाएं
7. बंदी तथा उसके परिवार की सामाजिक एवं आर्थिक दशा, बंदी की समयपूर्व मुक्ति की उपयुक्तता/अनुपयुक्तता
8. बंदी के पुनः अपराध करने की शक्तता/अशक्तता व अवसर
9. बंदी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने अथवा व्यक्ति विशेष तक सीमित एकाकी अपराध की श्रेणी में हो
10. बंदी को जेल में आगे और निरूद्ध रखने का कोई सार्थक प्रयोजन

3– दया याचिका प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर सम्बन्धित कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक द्वारा बंदी की जेल रिपोर्ट महानिरीक्षक कारागार को उपलब्ध करा दी जायेगी। वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक द्वारा जेल रिपोर्ट के साथ ही मा0 विचारण न्यायालय/सत्र न्यायालय/उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रति तथा पृथक रूप से निम्न बिन्दुओं पर सूचना/विवरण कराया जायेगाः–

1. बंदी का नाम व पता के साथ उसकी आयु का उल्लेख करते हुये कारित अपराध के सम्बन्ध में इतिहास उल्लेख।
2. मा0 न्यायालय के निर्णय का सारांश तथा मा0 न्यायालय की यदि कोई विशेष संविक्षा हो तो उसका विवरण।
3. जेल में बंदी के आचरण का पूर्ण विवरण।
4. बंदी की समयपूर्व मुक्ति के सम्बन्ध में अन्य कोई महत्वपूर्ण बिन्दु हो, तो उसका विवरण।

4– महानिरीक्षक कारागार द्वारा सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक से निम्नलिखित बिन्दुओं पर आख्या प्राप्त की जायेगी –

1. बंदी द्वारा कारित अपराध की परिस्थितियां एवं अपराध से सम्बन्धित विवाद तथा उनकी अद्यतन स्थिति
2. बंदी का पूर्व वृत्त एवं आचरण/पूर्व आपराधिक इतिहास
3. बंदी तथा उसके परिवार की सामाजिक व आर्थिक स्थिति
4. बंदी द्वारा पुनः अपराध करने के अवसर तथा उनका आधार
5. बंदी की समयपूर्व मुक्ति पर यदि आपत्ति है, तो उसका स्पष्ट कारण व आधार
6. बंदी के गृह अवकाश/पैरोल/जमानत की अवधि में उसका आचरण

5– महानिरीक्षक कारागार अपनी संस्तुति सहित सम्बन्धित कारागार अधीक्षक व जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक से प्राप्त समेकित आख्या/अभिलेखों को शासन में उपलब्ध करायेगा।

6– वृद्धावस्था पूर्ण विकलांगता तथा असाध्य रोग ग्रस्तता के आधार पर स्थायी अशक्तता के बारे में तत्सम्बन्धित प्रकरणों पर समिति द्वारा निम्नलिखित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट/संस्तुति सम्बन्धित कारागार अधीक्षक के माध्यम से प्राप्त की जायेगी –

1. मुख्य चिकित्सा अधिकारी
2. जिला अस्पताल का ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी
3. समीपस्थ राजकीय चिकित्सा संस्थान के अध्यक्ष द्वारा नामित एक विशेषज्ञ
4. समीपस्थ राजकीय आयुर्वेदिक संस्थान के अध्यक्ष द्वारा नामित एक विशेषज्ञ

मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा ज्येष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, जो कोई ज्येष्ठ हो, बोर्ड का चेयरमैन होगा तथा अन्य अधिकारीगण बोर्ड के सदस्य बने रहेंगे। कारागार मुख्यालय में तैनात वरिष्ठ कारागार अधीक्षक/कारागार अधीक्षक संयोजक होगा।

21.3.16
सूचना का अधिकारी अधिनियम
2005 के अन्तर्गत प्रमाणित
गृह अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।

7– समिति द्वारा ऐसे बन्दियों जिन्हे दयायाचिका के आधार पर मृत्यु दण्ड की सजा घटाने अथव आजीवन कारावास को सीमित कारावास में बदलने का लाभ पूर्व में प्राप्त हो चुका है, की समयपू रिहाई पर समिति द्वारा दया याचिका पर विचार नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित कोटि के बन्दियों की दया याचिका पर समिति द्वारा सामान्यतः विचार नहीं किया जायेगा –

1. बलात्कार, डकैती तथा आंतकवाद से सम्बन्धित अपराध के लिये दण्डित बंदी
2. पूर्व नियोजित एवं संगठित होकर हत्या के अपराध के लिये दण्डित बंदी
3. पेशेवर हत्यारे (किराये पर हत्या करने वाला बंदी)
4. तस्करी के दौरान हत्या के लिये दण्डित बंदी
5. ड्यूटी के दौरान लोक सेवकों की हत्या के अपराध के लिये दण्डित बंदी
6. पैरोल के दौरान हत्या करने वाले बंदी तथा जेल के अन्दर एवं न्यायालय परिसर में हत्या करने वाले बंदी

8– समिति की बैठक सामान्यतः प्रत्येक छः मास में आयोजित की जायेगी परन्तु अध्यक्ष की अनुमति से समिति की बैठक कभी भी आयोजित की जा सकती है।

भवदीय,

(डॉ0 उमाकान्त पंवार)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 428 /बीस–4/2017–1(17)/2009 टी0सी0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड।
4. प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त अधिकारी एवं अनुभाग, उत्तराखण्ड कारागार विभाग।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
7. पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल एवं कुमाऊं परिक्षेत्र।
8. गार्ड फाईल।

27.3.18

सूचना का अधिकारी अधिनियम
2005 के अन्तर्गत प्रमाणित
गृह अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।

आज्ञा से,

(भूपाल सिंह मनराल)
अपर सचिव।